

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.03.2023 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.03.2023 को दोपहर 01:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1.	प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो० ए.एस. रणदिवे	सदस्य
4.	प्रो० अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
5.	प्रो० एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
6.	प्रो० शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
7.	प्रो० सीमा राय	सदस्य
8.	प्रो० राजेन्द्र मेहता	सदस्य
9.	प्रो० सी.एस. वज्रलवार	सदस्य
10.	प्रो० ब्रजेश तिवारी	सदस्य
11.	प्रो० एस.सी. तिवारी	सदस्य
12.	प्रो० एम.के. सिंह	सदस्य
13.	डॉ० बुद्धेश्वर प्रसाद सिंगरौल	सदस्य
14.	डॉ० बी.आर. रावटे	सदस्य
15.	डॉ० पायल बनर्जी	सदस्य
16.	प्रो० मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :-

1. प्रो० प्रवीण कुमार मिश्रा

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के सभी सदस्यों को एक साथ मिलकर विश्वविद्यालय के विकास में भागीदार बनने प्रेरित किया तथा विश्वविद्यालय के आगामी योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी दी। तदोपरान्त निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-


विषय क्र.01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.03.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।


निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.03.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि अ.अ.वि.क्र.-02 के अंतर्गत यह भी शामिल कर लिया जाय कि बीजधन (Seed Money) सत्र 2019-20 हेतु आवंटित कर दिया जाय।

विषय क्र. 02 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.03.2023 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.03.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की।


30/03/2023


30/03/2023

विषय क्र. 03. वरिष्ठ नागरिकों एवं जरूरत मंद व्यक्तियों को आवश्यक सुविधा प्रदान करने के संबंध में विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि वरिष्ठ नागरिकों एवं जरूरत मंद व्यक्तियों को आवश्यक सुविधा प्रदान करने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय। स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि :-

1. शुरुआती चरण में यह कार्य विश्वविद्यालय के 05 किलोमीटर के दायरे में संपादित किया जाय।
2. विश्वविद्यालय का समाजकार्य विभाग कार्यालय उक्त कार्य को Pilot Project के रूप में क्रियान्वित करेगा।
3. उपरोक्त उल्लेखित कार्य हेतु गठित समिति जिला प्रशासन एवं स्मार्ट सिटी प्राधिकरण से सम्पर्क कर आवश्यक अनुमति/अनापत्ति/सहमति प्राप्त करेगी।
4. इस हेतु संलग्न विश्वविद्यालय छात्रों हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 के परिप्रेक्ष्य में इस कार्य को मूल्य परक पाठ्यक्रम (Value Added course) के रूप में नियमों/प्रावधानों के अंतर्गत मान्य किया जाय।

विषय क्र. 04. अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 21.03.2023 की अनुशंसाओं एवं कृत-कार्यवाही की पुष्टि पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 21.03.2023 की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय एवं कृत-कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 05. परीक्षा प्रक्रिया में सुधार (Examination Reforms) हेतु गठित समिति की अनुशंसा/ड्राफ्ट पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि यह विषय आगामी बैठक के लिए स्थगित रखा जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि आगामी बैठक के पूर्व उपस्थित सदस्यगण प्रस्तुत प्रस्ताव का भली-भांति अध्ययन कर लेंगे तथा आगामी बैठक में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।

विषय क्र. 06. छात्रा रितू गोंड को एमसीए एससी/एसटी संवर्ग में सत्र 2019-20 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के कारण स्व. श्रीमती शारदा प्रो. मनोरंजन प्रसाद सिन्हा स्मृति स्वर्ण मुद्रित पदक प्रदान करने पर विचार।

1. विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि पूर्व में संबंधित छात्रा के संवर्ग संशोधन की दिनांक 02.06.2022 की प्राप्त सक्षम स्वीकृति के अनुक्रम में संशोधित प्रावीण्यता सूची जारी की जाय एवं पूर्व में उक्त पदक से सम्मानित छात्र/छात्रा को इस कार्यवाही से संबंधित जानकारी प्रदान करने संबंधी पत्र प्रेषित किया जाय।
2. स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि छात्रा रितू गोंड को स्व. श्रीमती शारदा प्रो. मनोरंजन प्रसाद सिन्हा स्मृति स्वर्ण मुद्रित पदक प्रदान कर दिया जाय। यह कार्य परीक्षा शाखा संबंधित विद्यापीठ के अधिष्ठाता के माध्यम से सम्पन्न करायेंगे।

माननीय अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव

कुलपति/अध्यक्ष